रीडर

28/7/23 पत्रावली पेश है। वकील उभय पक्ष उप.
पत्रावली पर उपलब्ध प्रमाणित का अवलोकन
एवं न्यायिक दृष्टान्त पर गौर किया। जिससे
अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-5
कानून म्याद अधिनियम खारिज होने योग्य
है। अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 लिमिटेशन
एक्ट को खारिज किया जाकर मूल अपील अपीलांट
म्याद बाहर प्रस्तुत किये जाने के कारण
खारिज की जाती है। पत्रावली में निर्णय
पृथक से संलग्न है। पत्रावली बाद फैसला
होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०)

न्यायालयः—उपखण्ड़ अधिकारी लालसोट जिला—दौसा (राज0)

प्रकरण संख्या— 5116
पीठ़ाशीन अधिकारी : दिनांक रजू 13-11-17
श्री वृजेन्द्र, मीना, आर.ए.एस.
उपखण्ड़ अधिकारी, लालसोट

प्रभू बनाम् ग्राम पंचायत खटूम्बर
(नामान्तकरण अपील)

उपस्थित :— 1. श्री प्रेमप्रकाश चौधरी, एडवोकेट (अपीलांट)
2. श्री देवीसिंह चौहान, एड़वोकेट (रेस्पोडेन्ट सं0 2 ल. 5)

निर्णय प्रार्थना पत्र दफा—5 कानून मियाद अधिनियम
व प्रार्थना पत्र प्रारंभिक आपत्ति

निर्णय दिनांक 28—07—2023

बहस प्रार्थना पत्र धारा 5 लिमिटेशन एक्ट व प्रार्थना पत्र प्रारंभिक आपत्ति सुनी गई।

अपीलांट द्वारा अपील नामान्तकरण संख्या 220 दिनांक 02—01—2002 ग्राम पंचायत खटूम्बर तहसील लालसोट प्रस्तुत की गई तथा उक्त अपील के साथ धारा 5 कानून मयाद का प्रार्थना पत्र बाबत देरी माफी प्रस्तुत किया गया। जिसका रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 5 द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। रेस्पोडेन्टस सं0 2 लगायत 5 द्वारा प्रार्थना पत्र प्रारंभिक आपत्ति प्रस्तुत किया गया। जिसका जवाब अपीलांट द्वारा प्रस्तुत किया गया। चूंकि प्रार्थना पत्र धारा 5 कानून मयाद व प्रार्थना पत्र प्रारंभिक आपत्ति मे वर्णित तथ्य समान है। इसलिए दोनो प्रार्थना पत्र का निस्तारण एक साथ ही किया जा रहा हैं।

अपीलांट ने प्रार्थना पत्र धारा 5 कानून मयाद मे चुनौतीग्रस्त नामान्तकरण संख्या 220 दिनांक 02—01—2002 की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 09—11—2017 को होना अंकित किया गया है। रेस्पोडेन्ट्स संख्या 2 लगायत 5 उक्त प्रार्थना पत्र के जवाब व प्रार्थना पत्र प्रारंभिक आपत्ति मे उल्लेख किया है कि अपीलांट को चुनौतीग्रस्त नामान्तकरण की जानकारी अपील प्रस्तुत करने से 15 वर्ष पूर्व से ही रही है। क्योकि अपीलांट व उसके भ्राता द्वारा एक वाद व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा उनवानी हरसहाय बनाम् सूरजमल वगै0 इस न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया था। जिसमे उक्त चुनौतीग्रस्त नामान्तकरण मे वर्णित भूमि का उल्लेख था। रेस्पोडेन्ट्स के पिता पांचूराम द्वारा एक वाद उनवानी पांचूराम बनाम् हरसहाय आदि प्रस्तुत किया गया था। जिसका निर्णय रेस्पोडेन्ट्स के पक्ष मे किया गया जिसमे अपीलांट उपस्थित था। उक्त वाद मे भी उक्त नामान्तकरण मे वर्णित भूमि की खातेदारी का उल्लेख था। अपीलांट संख्या 2 द्वारा अन्य प्रकरण प्रभू बनाम् राज. सरकार करीब पांच वर्ष पूर्व प्रस्तुत किया गया था। जिसमे भी उक्त नामान्तकरण मे वर्णित भूमि के सम्बन्ध मे उल्लेख था। परन्तु अपीलांट द्वारा जानकारी के सम्बन्ध मे गलत तथ्यों का उल्लेख कर उक्त अपील प्रस्तुत की है। जिसे मयाद बाहर मानते हुए प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज किया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज0)

वकील अपीलांट ने अपनी बहस मे प्रार्थना पत्र धारा 5 कानून मयाद मे वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए तर्क दिया कि गलत आदेश के विरूद्ध कभी भी अपील प्रस्तुत नही की जा सकती है। इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर देरी माफ की जावें।

इसके विपरित रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 5 के अधिवक्ता ने बहस मे तर्क दिया गया कि अपीलांट द्वारा चुनौतीग्रस्त नामान्तकरण की सम्पूर्ण जानकारी 15 वर्ष से रही हैं। जिसके सम्बन्ध मे दस्तावेजात न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न हैं। इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए अपील को खारिज फरमावें। अपनी बहस के समर्थन मे निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये गयें।

1. आर बी जे 2005 पेज 132
2. आर बी जे 2016 पेज 1
3. आर बी जे 2019 पेज 20

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा न्यायिक दृष्टान्त पर गौर किया। पत्रावली मे रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 5 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्टतः प्रतीत है कि अपीलांट को चुनौतीग्रस्त नामान्तकरण के सम्बन्ध मे जानकारी अपील प्रस्तुत करने के 15 वर्ष पूर्व से रही है। वाद उनवानी हरसहाय बनाम् सूरजमल मे चुनौतीग्रस्त नामान्तकरण का उल्लेख है, उक्त प्रकरण मे रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 5 के पिता पांचूराम पक्षकार था तथा उसे उक्त नामान्तकरण के कारण ही पक्षकार प्रत्यस्थापित किया गयां था एवं अन्य वाद उनवानी पांचूराम बनाम् हरसहाय मे भी उक्त नामान्तकरण मे वर्णित भूमि का उल्लेख है। जिसमे भी अपीलांट पक्षकार है। इस प्रकरण के साथ चल रहे अन्य प्रकरण प्रभू बनाम् राज. सरकार जो कि इस न्यायालय मे अपीलांट द्वारा दिनांक 06–11–2013 मे प्रस्तुत किया गया था। जिसमे भी उक्त चुनोतीग्रस्त नामान्तकरण मे वर्णित भूमि का उल्लेख है। उक्त दस्तावेजात से रेस्पोडेन्ट्स सं0 2 लगायत 5 के अधिवक्ता की इस तर्क की पुष्टि होती है कि चुनौतीग्रस्त नामान्तकरण के सम्बन्ध मे अपीलांट को उक्त प्रकरण प्रस्तुत होने के 15 वर्ष पूर्व से रही है। प्रभू बनाम् राज. सरकार उनवानी प्रकरण जो कि हमारे समक्ष है। जो सन् 2013 मे प्रस्तुत किया गया। जबकि नामानतकरण अपील प्रस्तुत करने की समयावधि जानकारी से 30 दिन हैं। अपीलांट द्वारा उक्त दस्तावेजात के तथ्यो को छिपाकर जानकारी के तथ्य का गलत कथन किया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 5 द्वारा प्रस्तुत उक्त न्यायिक दृष्टान्त उक्त प्रकरण पर पूर्ण रूप से चस्पा होते हैं। इसलिए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 कानून मयाद अधिनियम खारिज होने योग्य हैं। चूंकि प्रारंभिक आपत्ति का प्रार्थना पत्र मे ही समान तथ्य है। इसलिए उसका निस्तारण भी उपरोक्तानुसार स्वीकार के रूप मे किया जाता हैं।

आदेश

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 लिमिटेशन एक्ट को खारिज किया जाकर अपील अपीलांट मयाद बहार प्रस्तुत किये जाने के कारण खारिज की जाती हैं।

आदेश आज दिनांक 28–07–2023 को मेरे द्वारा सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०)